

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-374) अलेसे-I/383

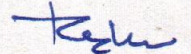
दिनांक:- 14.06.2021

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.08.2020 द्वारा श्री शिवचन्द सिंह घोटड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं-5251) का स्थानान्तरण पंचायत समिति, धोद (सीकर) से राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री घोटड़ के स्थान पर नवस्थानान्तरित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 द्वारा कार्यग्रहण करने पर भी श्री घोटड़ ने कार्यमुक्त होकर आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

श्री घोटड़ को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 14.06.2021 मध्याह्न पश्चात् को एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री घोटड़ नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

निदेशालय के आदेशों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवस में निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

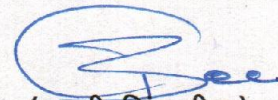

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-374) अलेसे-I/383

दिनांक:- 14.06.2021

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धोद (सीकर) को भेजकर लेख है कि आदेश दिनांक 07.08.2020 द्वारा श्री ताराचन्द, सहायक लेखाधिकारी का पदस्थापन श्री शिवचन्द सिंह घोटड़ के स्थान पर किया गया था। श्री ताराचन्द द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरांत भी आपके द्वारा श्री घोटड़ को कार्यमुक्त नहीं किया जाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर इस निदेशालय को अवगत करावे।
2. प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर।
3. श्री शिवचन्द सिंह घोटड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, धोद (सीकर)।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)